



दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्रेस निविदा सूचना सं. 16/एफओ/रोहिणी क्षेत्र/2010-11

दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से अधिशासी अभियंता, आरपीडी-2, डीडीए रोहिणी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, मधुवन चौक, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-85 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए सेवाओं की डिजाइन में अनुभव रखने वाले डीडीए पैनल पर अनुमोदित डिजाइन परामर्शदाताओं तथा अन्य प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं से निविदा प्रतिभूति राशि सहित दोपहर 3:00 बजे तक बताई गई तिथि पर मुहरबंद वस्तुदर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जिन्हें उसी दिन दोपहर 3:30 बजे प्रेस भवन, विकास सदन, आईएनए मार्केट के पास, डीडीए कार्यालय, नई दिल्ली में इच्छुक निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा।

क्र. सं.	एनआईटी सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रतिभूति/ निविदा का मूल्य	बिद्री की अंतिम तिथि खुलने की तिथि/ अनुमत समय
1.	11/ईई/ आरपीडी-2 /डीडीए /2010-11	सेक्टर 29 और 30 (भाग) रोहिणी, फेज IV और V में 157.83 हेक्टेयर भूमि का विकास। उपशीर्ष : सेक्टर-30, रोहिणी में प्लॉट किए गए पॉकिट ए-1, ए-2, सी-1, सी-2 और आस पास पानी की आपूर्ति योजना के अंदरूनी पानी की आपूर्ति के हाइड्रोलिक और संरचनात्मक डिजाइन के लिए परामर्श	रु. 12,300/- रु. 500/- + 5 प्रतिशत वैट	29.12.10 03.01.11 3 (तीन माह)
2.	9/ईई/ आरपीडी-2 /डीडीए /2010-11	— तदैव — उपशीर्ष : सेक्टर-30, रोहिणी में प्लॉट किए गए पॉकिट ए-1, ए-2, सी-1, सी-2 और आस पास सीवरेज योजना के अंदरूनी सीवरेज के हाइड्रोलिक और संरचनात्मक डिजाइन के लिए परामर्श	रु. 12,300/- रु. 500/- + 5 प्रतिशत वैट	29.12.10 03.01.11 3 (तीन माह)
3.	10/ईई/ आरपीडी-2 /डीडीए /2010-11	— तदैव — उपशीर्ष : सेक्टर-30, रोहिणी में प्लॉट किए गए पॉकिट ए-1, ए-2, सी-1, सी-2 और आस पास एस,डब्ल्यू ड्रेनेज योजना के अंदरूनी एस,डब्ल्यू ड्रेनेज के हाइड्रोलिक और संरचनात्मक डिजाइन के लिए परामर्श	रु. 12,300/- रु. 500/- + 5 प्रतिशत वैट	29.12.10 03.01.11 3 (तीन माह)

- निविदा प्रतिभूति राशि वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सीएयू) रोहिणी, डीडीए के पक्ष में देय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गारंटी प्राप्त अनुसूचित बैंक के एफ डी आर या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में निविदा दस्तावेज के साथ जमा की जाएँ।
- पात्रता मानदण्ड :** निविदाएं उन परामर्शदाताओं को भी जारी की जाएंगी जो डीडीए के पैनल पर नहीं हैं, बशर्ते उन्होंने निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार 30.11.2010 को समाप्त होने वाले पिछले 7 वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक समान प्रकार के कार्य पूरे किए हों:
(i) तीन समान प्रकार के कार्य पूरे किए हों जिसकी लागत 3.00 लाख रु. से कम नहीं होनी चाहिए; **या**
(ii) दो समान प्रकार के कार्य पूरे किए हों जिसकी लागत 4.00 लाख रु. से कम नहीं होनी चाहिए; **या**
(iii) एक समान प्रकार के कार्य पूरे किए हों जिसकी सकल लागत 5.00 लाख रु. से कम नहीं होनी चाहिए।
समान प्रकार के कार्य का अर्थ है "पानी की आपूर्ति योजना की हाइड्रोलिक और संरचनात्मक डिजाइन" और इसे दिल्ली जल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हुआ हो।
- परामर्शदाता के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिद्री कर कार्य संधिदा/वेट विभाग सहित दिल्ली मूल्यवर्धित कर (डी वेट) अधिनियम 2004 के तहत पंजीकरण का वैध प्रमाणपत्र होना चाहिए। कर समाशोधन प्रमाणपत्र, उन्हें बेचे गए निविदा दस्तावेज से पहले के होने चाहिए।
- निविदा दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस पर वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सीएयू) रोहिणी, जोनल डीडीए कार्यालय भवन, मधुवन चौक से सुबह **11:00 बजे दोपहर 3:00 बजे** तक 500 रुपए + 5 प्रतिशत डी वेट (अप्रतिदेय) की राशि का भुगतान नकद देकर अधिशासी अभियंता/आरपीडी-2 द्वारा पात्रता मानदण्डों के सत्यापन के बाद प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्रों की बिद्री का कार्य निविदा खुलने के लिए तय तिथि के चार (4) दिन पहले (खुलने की तिथि सहित) बंद कर दिया जाएगा।
- निविदा इसके खुलने की तिथि से 60 दिनों की अवधि तक वैध होनी चाहिए।
यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई कोई जानकारी आगे की अवस्था पर गलत पाई जाती है तो उसे डीडीए में निविदा करने तथा कार्य लेने से वंचित कर दिया जाएगा। विभाग को अधिकार है कि वह स्वतंत्र रूप से आवेदक द्वारा पूरे किए गए कार्यों के निरीक्षण सहित विवरणों का सत्यापन करें। विभाग को कोई कारण बताए बिना किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।

कृपया हमारी वेबसाइट 'dda.org.in' देखें या 39898911 डायल करें